रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 223] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 25, 2014/श्रावण 3, 1936
No. 223] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 25, 2014/SHRAVANA 3, 1936

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
## अधिसूचना

मुंबई, 18 जुलाई, 2014

**सं.टीएएमपी/21/2010-केपीटी.**—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का **38)** की धारा 49 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, कांडला पत्तन न्यास की कांडला भूमि के दरमान की वैधता को, एतद्द्वारा, इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, विस्तार प्रदान करता है।

## महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
## प्रकरण सं. टीएएमपी/21/2010-केपीटी

**कांडला पत्तन न्यास (केपीटी)** - - - - - **आवेदक**

**गणपूर्ति**:

**(i)** श्री टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य **(वित्त)**

**(ii)** श्री सी.बी. सिंह, सदस्य **(आर्थिक)**

## आदेश

**(**जुलाई 2014 के 4थे दिन पारित**)**

कांडला पत्तन न्यास (केपीटी) की कांडला भूमि के पट्टेदारी किराये का संशोधन पिछले बार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएएमपी/21/2010-केपीटी दिनांक 25 मार्च, 2011 के जरिये किया गया था जो भारत के राजपत्र

में दिनांक 11 मई, 2011 को राजपत्र सं. 106 के जरिये अधिसूचित किया गया था। कथित आदेश में, तीन प्रशुल्क चक्र के लिए, यथा जुलाई 1999 से 31 दिसंबर, 2003, 1 जनवरी 2004 से 31 दिसंबर, 2008 तक और 1 जनवरी, 2009 से 31 दिसंबर, 2013 तक पट्टेदारी किरायों का निर्धारण किया गया था।

**2.** दिनांक 25 मार्च, 2011 के उपरोक्त आदेश को विभिन्न (बहुसंख्यक) पक्षकारों ने माननीय गुजरात उच्च न्यायालय में रिट याचिका के माध्यम से चुनोती दी है। ये रिट याचिकाएँ निर्णय हेतु लंबित हैं। किंतु, माननीय उच्च न्यायालय ने, कथित आदेश के कार्यान्वयन पर रोक नही लगायी है।

**3.** इसी दौरान, केपीटी ने दिनांक 27 दिसंबर, 2013 के अपने पत्र के जरिए, कांडला भूमि की पट्टेदारी किरायों की वैधता, यह कारण बताते हुए कि कांडला भूमि की दरों के संशोधन का प्रस्ताव विचाराधीन है और इसके लिए कुछ समय और लग सकता है, 30 जून, 2014 तक की अवधि के लिए बढ़ाए जाने की मांग की है।

4. बाद में, केपीटी ने, अपने पत्र सं. एलडब्ल्यू/पीएल/3267/351, दिनांक 26 जून, 2014 और पत्र सं. एफ़ए/कॉस्ट/1170/358, दिनांक 2 जुलाई, 2014 के माध्यम से कांडला स्थित अपनी कांडला भूमि (के दरमान) के संशोधन हेतु अपना व्यापक प्रस्ताव दाखिल कर दिया है जिसका पंजीकरण 'प्रशुल्क प्रकरण' रूप में किया गया है और सम्बद्ध उपयोक्ताओं से परामर्श के लिए लिया गया है।

**5.** केपीटी के कांडला भूमि के प्रचलित दरमानों की वैधता 31 दिसंबर, 2013 को समाप्त हो चुकी है। केपीटी ने, दिनांक 27 दिसंबर, 2013 के अपने उपरोक्त पत्र के माध्यम से कांडला भूमि के प्रचलित पट्टेदारी किरायों की वैधता 30 जून, 2014 तक बढ़ाने के लिए अनुरोध किया है। चूंकि, दिनांक 30 जून, 2014 पहले ही बीत चुकी है और केपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर परामर्शी कार्रवाई हेतु लगने वाले समय पर विचार करते हुए, यह प्राधिकरण, कांडला भूमि के प्रचलित पट्टेदारी किरायों की वैधता, इसकी वैधता की समाप्ति की तिथि से 30 सितंबर 2014 तक बढ़ाती है। तथापि, केपीटी भूमि हेतु निर्धारित किए जाने वाले पट्टेदारी किराये क्रियान्वयन, केपीटी द्वारा इस संदर्भ में दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर, पूर्व प्रभाव, 1 जनवरी, 2014 से, जैसाकि केपीटी द्वारा प्रस्तावित है, होगा। तथापि, प्रदत्त दरमान की वैधता, इस प्राधिकरण के दिनांक 25 मार्च, 2011 के आदेश को चुनौती देते हुए विभिन्न (बहुसंख्यक) याचिकाकर्ताओं द्वारा दाखिल की गई रिट याचिकाओं पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा लिए जाने वाले निर्णय पर निर्भर रहेगी / निर्णय से प्रभावित होगी।

**6.1.** इसके आगे, सरकार द्वारा जारी किए गए 2004 के नीति मार्गदर्शी (जिनके आधार पर केपीटी की कांडला भूमि का दरमान मार्च, 2011 में निर्धारित किया गया है) अनुबंध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टेदारी किरायों में, इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित किए जाने तक, 2% वार्षिक वृद्धि की जाएगी। इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 25 मार्च, 2011 के आदेश के माध्यम से अनुमोदित दरमान भी इस संबंध में एक विशिष्ट शर्त का भी

अनुबंध करता है। चूंकि, प्रचलित किराया अनुसूची, सरकार द्वारा जारी किए गए 2005 के भूमि नीति मार्गदर्शी के अनुरूप, पट्टेदारी किरायों में 2% की वृद्धि हेतु पहले से ही अनुबंध करती है, 2% की वार्षिक वृद्धि केपीटी के कांडला भूमि के दरमान की बढ़ाई गई वैधता अवधि के दौरान भी लागू रहेगी।

**6.2.** तथापि, इस संदर्भ में, यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि, 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ प्रचलित दरमान की बढ़ाई गई वैधता, मौजूदा हालातों में किसी प्रकार के शून्य(ता) (**vacuum**) से बचने हेतु की गई केवल एक अस्थाई व्यवस्था है। केपीटी भूमि हेतु निर्धारित किया जाने वाले पट्टेदारी किराये का क्रियान्वयन, केपीटी द्वारा इस संदर्भ में दाखिल किए जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर, पूर्वप्रभाव 1 जनवरी, 2014 से, जैसाकि केपीटी द्वारा प्रस्तावित है, होगा।

**7.** परिणामस्वरूप, और ऊपर वर्णित कारणों से तथा समग्र विचारविमर्श के आधार पर, यह प्राधिकरण, प्राधिकरण के दिनांक 25 मार्च, 2011 के आदेश को चुनौती देते हुए विभिन्न पक्षकारों द्वारा दाखिल रिट याचिकाओं पर माननीय गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन केपीटी की कांडला भूमि के प्रचलित दरमान की वैधता को, वैधता की समाप्ति की तिथि से 30 सितंबर, 2014 तक विस्तार प्रदान करता है।

टी.एस. बालासुब्रमणियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/143/2014-असा.]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**NOTIFICATION**

Mumbai, the 18th July, 2014

**No. TAMP/21/2010-KPT.—**In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the Scale of Rates of the Kandla lands of Kandla Port Trust as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

**Case No. TAMP/21/2010 - KPT**

**Kandla Port Trust (KPT)** **- - - - -** **Applicant**

**QUORUM**

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri C.B. Singh, Member (Economic)

**ORDER**

(Passed on this 4th day of July 2014)

The lease rental for the Kandla lands of the Kandla Port Trust (KPT) was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/21/2010-KPT dated 25 March, 2011 which was notified in the Gazette of India on

11 May, 2011 vide G. No. 106. In the said Order, lease rentals were fixed for three tariff cycles viz., July 1999 to 31 December, 2003, 1 January, 2004 to 31 December, 2008 and 1 January, 2009 to 31 December, 2013.

2. The above mentioned Order dated 25 March, 2011 is challenged by way of Writ Petitions by various parties before the Hon'ble High Court of Gujarat. These writ petitions are pending for disposal. The Hon'ble High Court has, however, not stayed the implementation of the said Order dated 25 March, 2011.

3. In the meantime, the KPT, vide its letter dated 27 December, 2013, has sought extension of the validity of the lease rentals of the Kandla lands for a period upto 30 June, 2014 on the ground that its proposal for revision of rates for Kandla land is under consideration and will take some time.

4. Subsequently, the KPT has, vide its letter No. LW/PL/3267/351 dated 26 June, 2014 and letter No. FA/Cost/1170/358 dated 02 July, 2014, filed its comprehensive proposal for revision of its Kandla lands at Kandla which has been registered as 'tariff case' and taken on consultation with the concerned users.

5. The validity of the existing Scale of Rates of Kandla lands of KPT expired on 31 December, 2013. The KPT, vide its above referred letter dated 27 December, 2013, has requested for extension of the validity of the existing lease rentals of the Kandla lands upto 30 June 2014. Since 30 June, 2014 is already over and considering the time involved in consultation proceedings on the proposal filed by KPT, this Authority extends the validity of the existing lease rentals of the Kandla lands from the date of its expiry till 30 September, 2014. However, the lease rentals to be fixed for the KPT lands based on the proposal filed by the KPT in this regard will have retrospective effect from 1 January, 2014 as proposed by KPT. The extension of validity of SOR granted will, however, be subject to the decision of the Hon'ble High Court of Gujarat in the Writ Petitions filed by various Petitioners challenging the Authority's Order dated 25 March, 2011.

6.1. Further, the land policy guidelines of 2004 issued by the Government (based on which the SOR of Kandla Lands of KPT has been fixed in March 2011) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The SOR approved by this Authority vide Order dated 25 March, 2011 also prescribes a specific condition in this regard. Since the existing SOR of lease rent already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals in line with the Land Policy Guidelines, 2004 issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the SOR of Kandla lands of KPT.

6.2. However, in this regard, it is relevant to mention here that the extension of the validity of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the KPT lands based on a proposal filed by the KPT in this regard will have retrospective effect from 1 January, 2014 as proposed by KPT.

7. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing SOR of Kandla lands of KPT from the date of its expiry till 30 September, 2014 subject to the decision of the Hon'ble High Court of Gujarat in the Writ Petitions filed by various Petitioners challenging the Authority's Order dated 25 March, 2011.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT. III/4/143/2014/Exty.]

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.